संख्या- 11 /2021/110 /चालीस-2021-बजट(2)/19

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2021

विषय: महान विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद में ऐसी ज्ञात एवं अज्ञात विभूतियों/महात्मा/सन्त/सद्पुरूष जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल मिलाप के माहौल को सुदृढ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, किन्तु धनाभाव के कारण जिनको अपेक्षित पहचान न मिल पाई हो, के जन्म दिन मनाये जाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों या जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति जनपद रू0 35,000/-(रू0 पैंतीस हजार मात्र) की दर से अर्थात कुल रूपये 26,25,000/-(रूपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने/नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जनपद स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार किया जाय कि जनपद के मुख्यालय के साथ-साथ जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी साम्प्रदायिक सदभाव व आपसी भाईचारे की भावना प्रबल हो सके।

3- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये तथा प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-3-2022 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 31-3-2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें- 800-अन्य व्यय-08- महान विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव कार्यक्रमों का आयोजन-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 11 /2021/ 110/चालीस-2021-बजट(2)/19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज ।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज ।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

राजेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।